कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 126/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-02.04.2025 को **थाना जीयनपुर पुलिस की टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद आला कत्ल डंडा, 01 अदद गमछा व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद** किया गया।

थाना-जीयनपुर

हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए, 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी, 01अदद गमछा व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक **03.03.2025** को वादिनी शिवकुमारी पत्नी स्व0 श्याम कुवर चौहान, ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि **दिनांक 28/03/25** को वादिनी का लडका **अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष** शाम को गाँव के ही मैकु उर्फ रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव व गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द के साथ दावत खाने जीयनपुर विशाल यादव के घर गया था। दावत खाने के बाद वादिनी का लडका अश्वनी, मैकु उर्फ रामचन्दर तथा गौरव सिंह के साथ वापस घर के लिए निकला था लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सडक के किनारे वादिनी के लडके का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसके शरीर पर काफी चोट मौजूद है, हमे शंका है कि हमारे गाँव के मैकु उर्फ रामचन्दर व गौरव सिंह ने उसकी हत्या कर दिया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बनाम

1. मैकु उर्फ रामचन्दर यादव पुत्र स्व0 कन्हैया यादव, निवासी ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

2. गौरव सिंह पुत्र गिरीशचन्द्र सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **10 अन्य अभियुक्तों**

1. शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव, निवासी चक अमरौला, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
3. सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद, निवासी गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
4. सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र, निवासी मनचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

5. आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव, निवासी बाजार बाग खालिस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
6. अनुराग उर्फ अंश उर्फ बन्टी पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
7. आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
8. विकास यादव पुत्र सुर्यप्रकाश यादव उर्फ शेरा, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
9. दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश मे आया तथा मुकदमा उपरोक्त में **धारा 3(5)/61(2)BNS की बढ़ोतरी** की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक **05.04.2025** को **थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा** मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, निवासी खतीबपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़** को **चुनगपार मोड़** से समय करीब **07.30 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना कारित करते समय **मुह बाधने वाला गमछा व मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल लाठी** बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. शिवम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र 19 वर्ष निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण:-

01. घटना मे प्रयुक्त एक अदद आला लाठी
02. एक अदद गमछा
03. मोटरसाइकिल बरामद।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं व रामचन्द्र उर्फ मैकु दोनों आपस में दोस्त हैं। रामचन्द्र उर्फ मैकु का पिछले प्रधानी के चुनाव में उसके विरुद्ध खड़े होने वाले, उसके गांव के ही अश्वनी चौहान पुत्र श्याम कुवर चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से ही रंजिश चल रही थी। इस बार प्रधानी चुनाव दोनो लड़ना चाहते थे रामचन्द्र उर्फ मैकु को यह डर था की यदि अश्वनी चौहान भी प्रधानी चुनाव लड़ जायेगा तो मै नहीं जीत पाऊंगा। इसलिये वह अश्वनी के साथ आता जाता रहता था और साथ साथ दावत में भी ले जाता था ताकि उसको कोई शंका न हो और अश्वनी चौहान को रामचन्द्र उर्फ मैकु अपने रास्ते से हटाने के फिराक मे लगा रहता था। इसके बारे मे वह पहले भी कई बार मुझसे व मेरे अन्य साथियों अमित यादव पुत्र रामकेवल यादव निवासी चकअमरौला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़,सर्फुद्दीन पुत्र मो0रोजिद ग्राम गांगेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़,विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शेरा निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़,आशीष यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी बाजार बाग खालिस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,अनुराग उर्फ अंश उर्फ बन्टी पुत्र ज्ञानेन्द्र यादव निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,आकाश यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ,रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से अश्वनी चौहान को ठिकाने लगाने की बात की थी। हम सभी लोग मिलकर कई बार दावत भी कर चुके है। हममें से कई लोग पहले भी जेल जा चुके है। दिनांक 28.03.2025 की रात्रि में विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश यादव उर्फ शेरा के मुबारकपुर रोड़ स्थित गोल्डेन मैरेज हाल के सामने मकान मे दावत था। उस दावत मे मैं तथा विकास यादव ,अनुराग उर्फ अंश,आकाश यादव,अमित यादव,आशीष व सर्फुद्दीन भी आये थे तथा हमारा दोस्त यशवन्त यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी छतरपुर दलेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ भी आया था जब मीट बन रहा था। उसी रात में हसनपट्टी में एयरटेल टावर के पास विशाल यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के यहाँ दावत था तो वहाँ पर रामचन्द्र उर्फ मैकु दावत खिलाने के बहाने अश्वनी चौहान को लेकर गया हुआ था। जब हमलोग विकास यादव पुत्र सूर्यप्रकाश उर्फ शेरा निवासी दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के गोल्डेन मैरेज हाल के सामने स्थित मकान मे पार्टी कर रहे थे तो मकान के नीचे रामचन्द्र उर्फ मैकु पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ,सौरभ उर्फ करिया पुत्र स्व0 विरेन्द्र निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ आया और कहा की अश्वनी चौहान पुत्र स्व0 श्याम कुवर चौहान निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जीयनपुर से दावत खाकर घर के लिये निकल गया है। रास्ते में हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे क्योंकि रात मे रास्ते मे कोई और नही मिलेगा तभी हमलोग यशवन्त यादव को कहे की तुम यही छत पर मीट देखो हमलोग कुछ देर

मे आ रहे है और मै तथा,विकास यादव,अनुराग उर्फ अंश,आकाश यादव,अमित यादव ,सर्फुद्दीन आशीष मकान से नीचे उतर आये हमलोग रामचन्द्र उर्फ मैकु द्वारा बतायी गयी बात को सभी लोग को बताये तो सभी लोग डण्डा ले लिये और हम सभी लोग सफेद गमझे से अपना मुह बाध लिये और वहां से रामचन्द्र उर्फ मैकु के साथ उसके द्वारा बताये गये स्थान की ओर चल दिये। जब हमलोग नरहन गांव के आगे पहुचे तो वहाँ पर पहले से 02 व्यक्ति मिले जिनको मैं जानता पहचानता नही हूं । कुछ समय पश्चात अश्वनी चौहान अपनी मोटरसाइकिल से अजमतगढ़ की तरफ से आता दिखायी दिये तभी हमलोग नरहन गांव से अजमगढ़ की तरफ अपनी अपनी मोटरसाइकिलो से चल दिये । तभी रामचन्द्र उर्फ मैकु अपनी मोटरसाइकिल पर सौरभ उर्फ करिया को बैढ़ाकर आगे आगे चल दिया । समय करीब 11.15 बजे रात मे जब हमलोग अश्वनी चौहान के गाड़ी के पास पुहचे तो रामचन्द्र उर्फ मैकु ने अपनी मोटरसाइकिल का अगला चक्का अश्वनी चौहान के मोटरसाइकिल के पिछले चक्के से सटा दिया जिससे वह वही लड़खड़ा कर गिर गया तभी मै तथा सौरभ उर्फ करिया,सर्फुद्दीन ,अनुराग उर्फ अंश अश्वनी चौहान को डण्डे से मारने लगे तथा रामचन्द्र उर्फ मैकु लोहे की राड से व अमित यादव पंच से मारने लगे तथा आशीष यादव,आकाश यादव व विकास यादव व दो व्यक्ति जिसको मै जानता नही हुं मिलकर अश्वनी चौहान को पकड़े रहे और अश्वनी चौहान को मारते मारते सड़क के बगल झाड़ मे ले गये हमलोग तब तक उसे मारते रहे जब उसकी मृत्यु नही हो गयी । जब हम लोग समझ गये की अश्वनी चौहान मर गया है तब उसके बाद हम सभी लोग मोटरसाइकिलों से विकास यादव के घर चले गये । और वहाँ पर आकाश,अमित,विकास ,अनुराग उर्फ अंश रूक गये और सभी लोग वहाँ से चले गये ।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बढ़ोतरी धारा 3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1) BNS बढ़ोतरी धारा 3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0राजेश कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. का0जितेन्द्र यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0जयसिंह पटेल थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. का0अवनीश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 01.04.2025 को वादी रामदुलारे पुत्र स्व0 मुन्नर निवासी ग्राम खालिसा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा अपने पुत्र गोरख कुमार के साथ थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कल दिनांक 31.03.2025 की शाम लगभग 07.00 बजे वादी का लडका राकेश पुत्र रामदुलारे उम्र लगभग 27 वर्ष अपने मित्र शैलेश पुत्र अम्बिका ग्राम फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के यहाँ अपनी गाडी नं0 UP 54 AS 2624 से गया था, जहाँ वादी के लडके की शैलेश एवं उसका भाई तथा उसकी माँ एवं दोनों बहनों द्वारा मिलकर रात में ही हत्या दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 125/2025 धारा 103(1)/3(5) BNS** बनाम 1.शैलेश पुत्र अम्बिका 2. शैलेश का भाई नाम अज्ञात 3. शैलेश की माँ नाम अज्ञात 4. शैलेश की बहन नाम अज्ञात 5. शैलेश की बहन नाम अज्ञात निवासीगण फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 02.04.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह मय द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शैलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को फैजुल्लाह जहिरुल्लाह चट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर के पीछे स्थित प्याज के खेत में झाड-झंखाड के नीचे से कुदाल व मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त शैलेष द्वारा पूछताछ में बताया गया कि, वह टाईल्स मार्बल लगाने का कार्य करता है। राकेश पुत्र रामदुलारे ग्राम खालिसा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ हमारा दोस्त है, वह भी हमारे साथ टाईल्स पत्थर का कार्य करता था। एक वर्ष पहले से एक लड़की से मोबाइल पर बात करता था तथा जब कभी भी मैं उससे मिलने अजमतगढ़ बाजार जाता था तो अपने दोस्त राकेश को भी लेकर जाता था। बाद में राकेश चोरी से मेरे मोबाइल से उसका नंबर निकालकर स्वयं उससे बात करने लगा तथा दोनों मिलने भी लगे। मेरे और राकेश के बीच जो भी बातचीत होती थी राकेश द्वारा पूरी बात उस लड़की से बता दिया जाता था। मैं तभी से राकेश को अपने रास्ते से हटाने के बारे मे सोचता रहता था। दो माह पहले मैं गुजरात चला गया था । वहाँ से मैं इसी महीने लगभग 15 दिन पहले वापस घर आया हूं तभी से राकेश को ठिकाने लगाने के बारे मे सोच रहा था । दिनांक 31.03.2025 की शाम को राकेश को मैं अपने घर बुलाया, जब वह हमारे गांव के बाहर स्थित घर पर आ गया तो मैने उसको कहा की आज तुम हमारे इसी मकान पर रूक जाओ क्योकि यहाँ पर कोई और नहीं रहता है । रात में हम दोनो अपने घर के अन्दर एक ही तख्ते पर लेट गये। जब राकेश गहरी नींद मे सो गया तब मैं रात में लगभग 01.00 बजे उठा तथा घर में रखे कुदाल को लेकर उसके सिर पर दो बार जोर से प्रहार कर दिया, जिससे राकेश का सिर फट गया और राकेश की मृत्यु मौके पर ही हो गयी लाश को उसी कमरे में छोडकर मैं बाहर अपने पेड़ के चबूतरे पर आकर बैठ गया और बाद मे घर में ताला बन्द करके इधर उधर घूमने लगा और लाश को बाहर ले जाकर फेक देने के बारे मे सोचता रहा परन्तु हमारी हिम्मत नहीं हुयी मैं काफी डर गया था रात भर मैं बाहर बैठा रहा और सुबह आठ बजे घटना में प्रयुक्त कुदाल को घर के पीछे प्याज के खेत में स्थित झाड-झंखाड में छिपा घर से भाग गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. शैलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद आला कत्ल कुदाल
02. मृतक का एक अदद मोबाइल
03. मृतक का एक अदद आधार कार्ड

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 125/2025 धारा 103(1)/3(5) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 125/2025 धारा 103(1)/3(5) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. उ0नि0अमित कुमार वर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0जितेन्द्र यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0जयसिंह पटेल थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. का0अवनीश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस